न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—174 / 2021 / 223(2021 / 174)

1. छीतर पुत्र बजरंग जाति माली निवासी ग्राम लोहरवाडा तहसील पीपलू जिला टोंक
2. प्रहलाद पुत्र बजरंग जाति माली निवासी ग्राम लोहरवाडा तहसील पीपलू जिला टोंक
3. कस्तुरा पुत्र बजरंग जाति माली निवासी ग्राम लोहरवाडा तहसील पीपलू जिला टोंक।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम भूरावली तन लोहरवाडा तहसील पीपलू जिला टोंक
2. हरजी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी ग्राम भूरावली तन लोहरवाडा तहसील पीपलू जिला टोंक
3. कैलाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी ग्राम भूरावली तन लोहरवाडा तहसील पीपलू जिला टोंक
4. रमेश पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी ग्राम भूरावली तन लोहरवाडा तहसील पीपलू जिला टोंक

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू दिनांक 26.05.2015 अंतर्गत वाद संख्या 74 / 2011.

उपस्थितः—

1. श्री गिरीश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 03, 04 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 30.08.2022.

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पीपलू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2015, वाद संख्या 74 / 2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू के समक्ष भूमि आराजी खसरा नम्बर 316 / 2, 317 / 2005, 321, 317 / 2006 कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम लोहरवाडा तहसील पीपलू जिला टोंक को

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लेकर रेस्पोडेंट के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण जबरन अपीलांट/वादीगण की उक्त वर्णित आराजीयात के पश्चिमी ओर रोड के सहारे की भूमि पर जबरन बाडे, नोहरे , रेवडी आदि डाल कर अपीलांट/वादीगण को बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं इस कारण रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने हेतु अपीलांट/वादीगण ने वाद प्रस्तुत किया था, जिसे अधीनस्था न्यायालय ने निम्न प्रकर निर्णय पारित कर निस्तारित किया है कि प्रतिवादीगण सडक के पूर्व और वादीगण के खातेदारी में मजाहमत व हस्तक्षेप नहीं करे एवं वादीगण को भी पाबंद किया जाता है कि पीपलू से बनवाडा पक्की सडक के पश्चिम की ओर बने हुए बाडे, मकान आदि में हस्तक्षेप नहीं करे। दोनों अपनी जगह पाबंद रहे तथा जिन खसरा नम्बर से होकर के सडक पी.डब्लू.डी. द्वारा निकाली गई है, उसकी तरमीम रोड प्लान तथा खसरा प्लान से राजस्व नक्शे में पी.डब्लू.डी. विभाग तरमीम करावें तथा दोनों पक्षकार अपनी खातेदारी हद में पाबंद रहेंगे, वादी व प्रतिवादी एक दूसरे की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिससे व्यथित होकर अपीलांट निम्न कारणों से अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3,4 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने दौराने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 विधि विधान एवं प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों से ग्रस्ति होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को दिनांक 26.5.2015 को लोक अदालत कैम्प लोहरवाडा में समझाईश हेतु रखा था, किंतु पक्षकारान के बीच किसी तरह का कोई राजीनामा न होने की गुंजाईश से पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दे दिये जाने का कथन पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलांट को कह दिया था, किंतु अपीलांट वादीगण की अनुपस्थिति में मंगाई गई मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिक प्रक्रियाओं की पूर्णतया अवैज्ञा करते हुए डिक्री पारित की है, जो काबिल निरस्तनीय है। यह कि प्रथम तो मौका रिपोर्ट के आधार पर वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता, द्वितीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.6.2014 को पारित आदेश की अवैज्ञा करते हुए अन्य राजस्व कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम आदेश के रिपोर्ट मांगने का अधिकार प्रदान नहीं करती, तृतीय प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से प्रतिवादीगण के कोई हक अधिकार विवादित आराजीयात में उत्पन्न नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी विधिक प्रावधानों की अवज्ञा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुतोष के विपरित प्रकरण में डिक्री पारित कर विधिक त्रुटि पारित की है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजीयात के समीप प्रतिवादीगण के कोई खातेदारी के खेत नहीं है, बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी की कुछ हिस्से की भूमि पर दौहराने वाद जोर जबरदस्ती, रेवडी बाडे बना लिये हैं जिन्हें हटाने का आदेश भी पूर्व में पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया जा चुका था, उसके बावजूद भी सभी तथ्यों की अनदेखी करते हुए बिना विधिवत सुनवाई किए प्रस्तुत प्रकरण में अतिशीघ्रता से निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया अवैध है और ऐसे निर्णय व डिक्री की विधिक मान्यता नहीं है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अधिकारी द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेंट से मिलीभगत कर लिए जाने से उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए विधिक प्रक्रियाओं के अनदेखी करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 निरस्त फरमाया जाए तथा प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट को पाबंद फरमाया जावे कि वे स्वयं जरिये, ऐजेंट, नौकर रिस्तेदार या अन्य किसी दीगर व्यक्ति के माध्यम से वादीगण अपीलांट की उक्त वर्णित आराजीयात में मजाहमत व मदाखलत नहीं करें तथा दौहराने वाद जो रेवडी वादीगण की कुछ भूमि पर डाल दी है और बाडे बना लिये है, उन्हें तुरन्त हटाये जाने के आदेश फरमाया जावें।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वाकै ग्राम लोहरवाड़ा तहसील पीपलू के सम्बन्ध में वादीगण ने जमाबंदी में उनके नाम नुमाईशी तौर खातदेारी दर्ज होने का नाजाईज फायदा उठाने के लिए झूठा दावा न्यायालय के पेश किया है जबकि दावा दायरी तिथी को मौके पर वादीगण का कब्जा नही होने से एवं वादीगण इन भूमियों के काबिज काश्तकार नही होने के कारण धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा चलने योग्य नही था।वादीगण को उपरोक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है परन्तु इसके बावजूद भी केवल मात्र जमाबंदी में खातेदारी दर्ज होने के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है, उक्त आराजीयात में बरसो से पश्चिमी ओर रोड़ के सहारे प्रतिवादीगण के बाडे, नोहरे बने हुए है जिनमें प्रतिवादीगण खाद, रेवड़ी, चारा आदि डालते है एवं जानवरों को बांधते है तथा कृषि आबादी प्रयोजनार्थ बरसो से उपयोग–उपभोग में लेते आ रहे है जिनमें वादीगण प्रतिवादीगण को नाजायज तरीका अपनाकर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवा कर बेदखल करना चाहते है। वादीगण का दावा सदभावी नही है, प्रतिवादीगण ने कभी भी सड़क के पूर्वी हिस्से पर कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं किया बिना कब्जे के पश्चिमी हिस्से पर वादीगण ने दावा पेश किया है जो चलने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी बाबत् मौका रिपोर्ट तलब की जाकर, वादीगण एवं प्रतिवादी को लोक अदालत के नोटिस जारी करने विधि सम्मत आदेश पारित किये है। विवादित आराजी बाबत् भी पटवारी हल्का एवं भू–निरीक्षक के द्वारा जरीब चला कर सीमा तक नाप चोप की गई तथा अपीलांट के कब्जे काश्त में रेस्पोडेन्टस के द्वारा किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही पाया है एव ना ही उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उससे दोनो पक्ष पावंद है फिर भी अपीलांट के द्वारा उक्त निर्णय की अपील प्रस्तुत की है, जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/वादीगण एवं रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण उपस्थित थें परन्तु अपीलांट/वादीगण ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश लोक अदालत की भावना से किया गया है जिसकी अपील मान्नीय न्यायालय मे चलने योग्य नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज फरमायी जावें।

6. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पूर्ण अवहेलना

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

की है क्योंकि नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त यह कहता है कि किसी भी पक्षकार को सुने एक तरफा में किसी भी प्रकार का आदेश/निर्णय अगर किसी व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश/निर्णय उस व्यक्ति के अधिकारों के विपरीत है। प्रकरण लोक अदालत की भावना के अन्तर्गत ही लगाया जाता है तो लोक अदालत की भावना वहॉ मान्य होगी जहॉ पर पक्षकारान के बीच समझौता, राजीनामा या विड्रो जैसे तथ्य हो, जहॉ पक्षकारान किसी प्रकरण को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा लड़ना चाहते है वहॉ पर लोक अदालत या कैम्प कोर्ट की भावना से प्रभाव रूप से पक्षकारान के मध्य निर्णय पारित नहीं किये जा सकते है। प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी,पीपलू ने लोक अदालत की परिभाषा के विरूद्ध जाकर अपना आदेश पारित किया है, ऐसे आदेश विधि के पूर्णतया विपरीत होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.05.2015 को ही मौके की रिपोर्ट तैयार करवायी गई, जिसमें सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर नही है। संदेह से परे यह साबित होता है कि मात्र प्रकरण को निस्तारित करने के लिए एक ही दिन से मौका रिपोर्ट तैयार कर आनन–फानन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया, जो निरस्त योग्य है तथा प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। जहॉ जवाब दावा प्रस्तुत किया जाता है वहॉ तनकीयात कायम करके ही वाद का निस्तारण करना चाहिए था, जो प्रस्तुत प्रकरण में नहीं किया गया है। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर ने भी अपने कई आदेशों एवं निर्देशों में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ जवाब दावा प्राप्त होता है वहॉ वाद को तनकीयात कायम की जाकर ही वाद का निस्तारण करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रकरण में तनकीयात कायम कर उभय पक्षकाराने को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में तनकीयात कायम कर उभय पक्षकाराने को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पावंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर